

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक: प. 10(1)प्रसु/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक : 27-06-2019

:: परिपत्र ::

शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अंकित टिप्पणी/नोट अथवा प्रेषित पत्र पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम तथा दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किये जाने के संबंध में समय-समय पर इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.03.2012, 21.02.2013, 24.05.2013 एवं 18.03.2016 जारी कर निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय अधिकारी/कर्मिकों द्वारा इन निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। अतः पुनः दोहराया जाता है कि शासन में सभी स्तर पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निम्न निर्देश की पूर्ण पालना आवश्यक रूप से की जावे :-

1. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (फील्ड में कार्यरत भी) द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रस्तुत/प्रेषित टिप्पणी/नोट, पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी अपने हस्ताक्षर किये जावें तो अंकित किये गये हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, पदनाम व दिनांक भी आवश्यक रूप से अंकित करें।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय पत्र व्यवहार करते समय कम संख्या-1 में प्रदत्त निर्देश की पालना के साथ-साथ पत्र के आधार (Bottom) पर कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फेक्स नम्बर, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय/संबंधित अधिकारी की मेल-आई.डी. भी आवश्यक रूप से अंकित की जावे।
3. जिन प्रकरणों पर अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम दिनांक अंकित नहीं हो, उन पत्रावलियों को उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं कर, पत्रावलियों संबंधित अधिकारी/कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जावे।

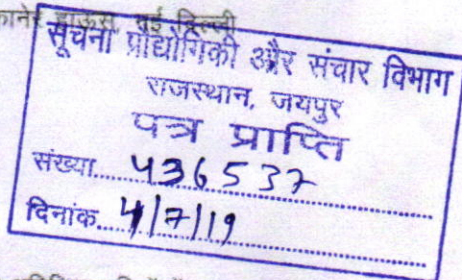
प्रदत्त उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे तथा निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जाकर सम्बंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग आदि में सुनिश्चित की जावे।

-52-
(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर, झुंझार, जयपुर
5. समस्त संभागीय आयुक्त
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग/प्रकोष्ठ
11. आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों में प्रमुख समाचार पत्रों के प्रचार-प्रसारार्थ
12. रक्षित पत्रावली



(रवि शंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव